<u>न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–03, फतेहपुर</u>

उपस्थितः हरि प्रकाश गुप्ता, उच्चतर न्यायिक सेवा (JO CODE UP 1709)

UPFT010009902020

सत्र परीक्षण संख्या– 248/2020

उ०प्र० राज्य ... ...अभियोजन

बनाम

1. विपिन पटेल उम्र लगभग 36 वर्ष पुत्र राजेन्द्र पटेल निवासी ग्राम धर्मसिंहपुर थाना गाजीपुर जिला फतेहपुर।
2. राजेन्द्र उम्र लगभग 66 वर्ष पुत्र स्व० देवीदयाल निवासी ग्राम धर्मसिंहपुर थाना गाजीपुर जिला फतेहपुर।

.........अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध संख्या– 284/2019

धारा– 498A, 304 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 डी०पी० एक्ट

थाना– गाजीपुर, जिला फतेहपुर।

उ०प्र० राज्य की ओर से– श्री देवेन्द्र कुमार भदौरिया, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता– श्री राकेश वर्मा, एडवोकेट ।

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत सत्र परीक्षण अभियुक्तगण राजेन्द्र एवं विपिन पटेल के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या– 284/2019, धारा 498A, 304 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 डी०पी० एक्ट , थाना गाजीपुर, जिला फतेहपुर में विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त प्रेषित आरोप–पत्र के आधार पर परीक्षण हेतु योजित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी की बहन शालू देवी की शादी दिनांक 27.01.2019 को ग्राम धर्मसिंहपुर थाना गाजीपुर के विपिन पटेल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही विपिन पटेल, राजेन्द्र पटेल, सास गीता देवी व देवर विमल पटेल आदि लोगों के द्वारा दहेज में एक लाख रुपया व एक मोटरसाइकिल की मांग करते रहे। प्रार्थी की विधवा मां ने अपनी गरीबी का हवाला दिया और कहा हमारे पास जो था वह दे दिया। अब हमारी हैसियत नहीं है। दहेज के कारण उपरोक्त सभी ससुराली लोग बहन शालू को मारते पिटते व प्रताड़ित करते थे। हम मायके वालों से फोन में बात भई नहीं करने देते थे। जून 2019 में मारकर घर से निकाल दिया थआ। फिर रिश्तेदारों के मध्य समझाकर शालू के पति, सास व ससुर के साथ ससुराल भेज दिया गया था। कल दिनांक 21.11.2019 को प्रार्थी के बहनोई निवासी बसोहनी ने फोन द्वारा बताया कि तुम्हारी बहन शालू की मौत हो गयी है। जब वहां पहुंचे तो वहां देखा मेरी बहन शालू देवी व अन्य लोगों को साथ ग्राम धर्मसिंहपुर पहुंचे तो वहां देखा मेरी बहन शालू देवी फांसी पर लटकी थी। हम परिवारीजनों के सामने पुलिस सौ को फांसी के फंदे से उतारकर आवश्यक कार्य कही के लिए ले गयी। प्रार्थी की बहन को बहनोई विपिन पटेल व ससुर राजेन्द्र पटेल व सास गीता देवी, देवर विमल पटेल ने मार कर फांसी पर लटका दिया है।

3. दौरान विवेचना विवेचक द्वारा वादी मुकदमा तथा अन्य गवाहन का बयान अंकित किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की गयी। वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया एवं अन्य साक्ष्य एकत्र किये। पर्याप्त साक्ष्य संकलन के उपरान्त अभियुक्तगण राजेन्द्र एवं विपिन पटेल के विरूद्ध धारा 498A, 304 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 डी०पी० एक्ट में

आरोप पत्र (प्रदर्श क–12) न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिंस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

4. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा उपरोक्त आरोपपत्र पर संज्ञान लिया गया तथा न्यायालय के आदेश दिनांकित–25.02.2020 के द्वारा मुकदमा को सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया।

5. वादी की लिखित तहरीर (प्रदर्श क–1) के आधार पर दिनांक 22.11.2019 को थाना गाजीपुर, जिला फतेहपुर में मुकदमा अपराध संख्या 284/2019 अंतर्गत धारा 498A, 304 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 डी०पी० एक्ट अभियुक्तगण राजेन्द्र, विपिन पटेल, गीता देवी एवं विमल पटेल के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी।

6. अभियुक्तगण उपरोक्त को नकले दी गयी। न्यायालय सत्र न्यायाधीश फतेहपुर द्वारा अभियुक्तगण राजेन्द्र एवं विपिन पटेल के विरूद्ध धारा 498A, 304 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 डी०पी० एक्ट के अंतर्गत आरोप दिनांक 02.12.2020 को विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया एवं विचारण की मांग की। साक्ष्य के स्तर पर यह पत्रावली सत्र न्यायाधीश फतेहपुर के आदेश के द्वारा स्थानांतरण से इस न्यायालय को प्राप्त हुई है।

7. **दिनांक 19–11–2024 को अभियुक्तगण राजेन्द्र एवं विपिन पटेल का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया।** अभियुक्तगण राजेन्द्र पटेल ने अभियोजन कथानक के संबंध में कथन किया गया है कि गलत कथन है, किसी तरह की कोई मांग नहीं की गई, गलत है। साक्षी पी०डब्लू० 1 वादिनी मुकदमा/अनुज पटेल के बयान के संबंध में कहा है कि कुछ नहीं कहना है। पी०डब्लू० 2 गंगा देवी के बयान के संबंध में कहा है कि कुछ नहीं कहना है। पी०डब्लू० 3 अनिल कुमार के बयान के संबंध में कहा है कि कुछ नहीं कहना है। पी०डब्लू० 4 डॉ० अमलेश जोशी के बयान के संबंध में कहा है कि कुछ नहीं। पी०डब्लू० 5 सियाराम के बयान के संबंध में कहा है कि कुछ नहीं। पी०डब्लू० 6 सोहनलाल के बयान के संबंध में कहा है कि कुछ नहीं। पी०डब्लू० 7 म०कां० प्रियंका के बयान के संबंध में कहा है कि गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया है। अभियोजन का कथन है कि आपके अधिवक्ता द्वारा साबित प्रदर्श के संबंध में कहा है कि कुछ नहीं कहना है। आपके विरूद्ध मुकदमा क्यों चला के संबंध कहा है कि गलत फहमी के कारण तथा क्या आपको कुछ और कहना है के संबंध में कहा है कि मृतका पेट की गंभीर बीमारी से ग्रसित थी, जिसकी वजह से वह बेहद तकलीफ में थी। इसी वजह से उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गयी। मैं पूर्ण रूप से निर्दोष हूं।

अभियुक्तगण विपिन पटेल ने अभियोजन कथानक के संबंध में कथन किया गया है कि गलत कथन है, किसी तरह की कोई मांग नहीं की गई, गलत है। साक्षी पी०डब्लू० 1 वादिनी मुकदमा/अनुज पटेल के बयान के संबंध में कहा है कि कुछ नहीं कहना है। पी०डब्लू० 2 गंगा देवी के बयान के संबंध में कहा है कि कुछ नहीं कहना है। पी०डब्लू० 3 अनिल कुमार के बयान के संबंध में कहा है कि कुछ नहीं कहना है। पी०डब्लू० 4 डॉ० अमलेश जोशी के बयान के संबंध में कहा है कि कुछ नहीं। पी०डब्लू० 5 सियाराम के बयान के संबंध में कहा है कि कुछ नहीं। पी०डब्लू० 6 सोहनलाल के बयान के संबंध में कहा है कि कुछ नहीं। पी०डब्लू० 7 म०कां० प्रियंका के बयान के संबंध में कहा है कि गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया है। अभियोजन का कथन है कि आपके अधिवक्ता द्वारा साबित प्रदर्श के संबंध में कहा है कि कुछ नहीं कहना है। आपके विरूद्ध मुकदमा क्यों चला के संबंध कहा है कि गलत फहमी के कारण तथा क्या आपको कुछ और कहना है के संबंध में कहा है कि मृतका पेट की गंभीर बीमारी से ग्रसित थी, जिसकी वजह से वह बेहद तकलीफ में थी। इसी वजह से उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गयी। मैं पूर्ण रूप से निर्दोष हूं।

8. बचावपक्ष द्वारा पत्रावली में कोई प्रतिपरीक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. अधोहस्ताक्षरी द्वारा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्कों को बहस में सविस्तार सुना गया एवं सम्पूर्ण पत्रावली का सम्यक परीशीलन किया गया।

10. प्रस्तुत मामले में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा दौरान बहस यह कथन किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्य के साक्षियों द्वारा अभियोजन कथानक के

समर्थन में बयान दिया गया है तथा औपचारिक साक्षियों शव विच्छेदन आख्या साक्षी डॉ० अमलेश जोशी/पी०डब्लू० 4, चिक एफ०आई०आर० एवं कायमी जी०डी० लेखक म०कां० प्रियंका/पी०डब्लू० 7 ने अभियोजन कथानक एवं अभिलेखीय साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष भली भांति साबित किया है। इस प्रकार अभियोजन कथानक पूर्णतः साबित है। अतः अभियुक्तगण को प्रस्तुत मामले में दोषसिद्ध किया जाये।

11. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह अभिकथन किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये तथ्य के साक्षियों वादी मुकदमा अनुज पटेल पी०डब्लू० 1, गंगा देवी पी०डब्लू० 2, अनिल कुमार पी०डब्लू० 3, सियाराम पी०डब्लू० 5, सोहनलाल पी०डब्लू० 6 ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। प्रस्तुत मामले के शव विच्छेदन आख्या साक्षी डॉ० अमलेश जोशी/पी०डब्लू० 4, चिक एफ०आई०आर० एवं कायमी जी०डी० लेखक म०कां० प्रियंका/पी०डब्लू० 7 औपचारिक साक्षी हैं। अतः ऐसी स्थिति में उक्त औपचारिक साक्षीगण के बयान के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता। अतः निवेदन है कि अभियुक्तगण दोष मुक्त घोषित किये जाये।

<u>निष्कर्ष</u>

12. प्रस्तुत मामले सत्र परीक्षण संख्या– 248/2020, मुकदमा अपराध संख्या– 284/2019 विरुद्ध अभियुक्तगण राजेन्द्र पटेल एवं विपिन पटेल अन्तर्गत धारा 498A, 304 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 डी०पी० एक्ट, थाना गाजीपुर जिला फतेहपुर के मामले में अभियोजन पक्ष को यह साबित करना है कि अभियुक्त विपिन पटेल के साथ वादी मुकदमा अनुज पटेल की बहन शालू देवी की शादी दिनांक 27.01.2019 को सम्पन्न होने के पश्चात से समय–समय पर स्थान मकान अभियुक्त राजेन्द्र पटेल स्थित बहद् ग्राम धनसिंहपुर अन्तर्गत थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर में अभियुक्तगण पति विपिन पटेल एवं ससुर राजेन्द्र पटेल ने मृतका श्रीमती शालू देवी को दहेज को लेकर उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया तथा अतिरिक्त दहेज में एक लाख रूपये नगद व एक मोटरसाइकिल की मांग की तथा दिनांक 21.11.2019 को समय 3:30 बजे स्थान मकान पति विपिन पटेल व ससुर राजेन्द्र पटेल ने मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मृतका श्रीमती शालू देवी को प्रताड़ित करते हुए एवं क्रूरता का व्यवहार करते हुए उसकी शादी के सात वर्ष के अन्दर फांसी लगाकर उसकी दहेज मृत्यु कारित किया।

प्रस्तुत सत्र परीक्षण में यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध को उनके विरूद्ध युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे के स्तर तक साबित करने के अपने दायित्व के निर्वहन करने में सफल रहा है?

13. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सम्मानित विधिव्यवस्था **<u>टीका प्रति उ०प्र० राज्य ए० आई० आर०–1974 एस0सी0 155</u>** में अवधारित किया गया है कि अभियोजन पक्ष को अपना केस संदेह से परे के स्तर तक साबित करना होता है, बचाव पक्ष की त्रुटियां तात्विक नहीं होती हैं, इसी तरह **<u>कालीराम प्रति हिमाचल प्रदेश राज्य ए०आई आर० 1973 एस०सी० 2773</u>** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि प्रत्येक अभियुक्तगण के तब तक निर्दोष होने की उपधारणा की जायेगा, जब तक अभियोजन पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करके ऐसी उपधारणा को खण्डित नहीं कर देता कि ऐसा व्यक्ति आरोपित अपराध को कारित करने का दोषी है।

14. क्या प्रस्तुत मामले में वादिनी मुकदमा द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है?

प्रस्तुत मामले में चिक एफ.आई.आर. अन्तर्गत धारा 498A, 304 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 डी०पी० एक्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आपराधिक मामले में अपराध के घटना की तिथि दिनांक 21.11.2019 को समय 00.00 बजे तथा अपराध कारित किये जाने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 22.11.2019 को समय 18.29 बजे दर्ज करायी गयी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार प्रस्तुत अपराध घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 1 दिन 8:29 बजे के लम्बे विलम्ब के बाद वादिनी

द्वारा दर्ज करायी गयी है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट 18 घंटे के बाद दर्ज करायी गयी है। प्रस्तुत मामले के तथ्यों में 18 घंटे का विलम्ब कोई लम्बा विलम्ब नहीं है। उक्त विलम्ब के पीछे अभियोजन पक्ष द्वारा यह बताया गया है कि इस समय उस पीड़िता का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि करायी गयी थी। तत्पश्चात् वादी द्वारा तहरीर लिखवाकर अपनी रिपोर्ट चिक एफ०आई०आर० दर्ज करायी गयी है। इस प्रकार प्रस्तुत मामले में 18 घंटे का विलम्ब कोई ऐसा विलम्ब नहीं है, जिससे कि अभियोजन कथानक पर संदेह किया जा सके। अतः प्रस्तुत मामले चिक एफ०आई०आर० युक्तियुक्त समय के भीतर दर्ज करायी गयी है।

15. क्या प्रस्तुत मामले में अभियोजन कथानक में वर्णित अपराध अभियुक्तगण द्वारा कारित किया गया है?

प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष को यह साबित करना है कि " अभियुक्त विपिन पटेल के साथ वादी मुकदमा अनुज पटेल की बहन शालू देवी की शादी दिनांक 27.01.2019 को सम्पन्न हुई। उसके पश्चात से समय–समय पर स्थान मकान आप अभियुक्त राजेन्द्र पटेल स्थित बहद् ग्राम धनसिंहपुर अन्तर्गत थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर में आप अभियुक्तगण पति विपिन पटेल एवं ससुर राजेन्द्र पटेल ने मृतका श्रीमती शालू देवी को दहेज को लेकर उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया मृतका श्रीमती शालू देवी की आप अभियुक्त विपिन पटेल से शादी होने के बाद स्थान मकान आप अभियुक्त राजेन्द्र पटेल स्थित वहद् ग्राम धनसिंहपुर अन्तर्गत थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर में आप अभियुक्तगण पति विपिन पटेल एवं ससुर राजेन्द्र पटेल ने श्रीमती शालू देवी से अतिरिक्त दहेज में एक लाख रूपये नगद व एक मोटरसाइकिल की मांग की।दिनांक 21.11.2019 को समय 3:30 बजे स्थान मकान आप अभियुक्त राजेन्द्र पटेल स्थित वहद् ग्राम धनसिंहपुर अन्तर्गत थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर में आप अभियुक्तगण पति विपिन पटेल व ससुर राजेन्द्र पटेल ने मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मृतका श्रीमती शालू देवी को प्रताड़ित किया एवं उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करते हुए उसकी शादी के सात वर्ष के अन्दर फांसी लगाकर उसकी दहेज मृत्यु कारित किया।"

16. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए निम्नलिखित मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया :–

मौखिक साक्ष्यः– पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा/अनुज पटेल, पी०डब्लू० 2 गंगा देवी, पी०डब्लू० 3 अनिल कुमार, पी०डब्लू० 4 डॉ० अमलेश जोशी, पी०डब्लू० 5 सियाराम, पी०डब्लू० 6 सोहनलाल, पी०डब्लू० 7 म०कां० प्रियंका को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया।

अभिलेखीय साक्ष्यः– तहरीर प्रदर्श क–1, शव विच्छेदन आख्या प्रदर्श क–2, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–3, कायमी जी०डी० प्रदर्श क–4, पंचायतनामा प्रदर्श क–5, चिट्ठी सी०एम०ओ० प्रदर्श क–6, चिट्ठी आर०आई० प्रदर्श क– 7, फोटोलाश प्रदर्श क–8, नमूना सीलमोहर पर्चा प्रदर्श क–9, अभियुक्त विपिन पटेल द्वारा दी गयी फौती प्रार्थना पत्र प्रदर्श क–10, मृतका शालू पटेल का विवाह कार्ड प्रदर्श क–11, आरोप पत्र प्रदर्श क–12 एवं नक्शा नजरी प्रदर्श क–13 के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सम्बंधित साक्षीगण द्वारा साबित किया गया।

17. अभियोजन साक्षी वादी मुकदमा अनुज पटेल पी०डब्लू०–1 ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, मेरी बहन शालू देवी की शादी मुल्जिम विपिन पटेल के साथ दिनॉक 27 जनवरी 2019 को हुई थी। बहन के पति मुल्जिम विपिन पटेल, ससुर राजेन्द्र पटेल, सास गीता देवी, विमल पटेल ने कभी भी मेरी बहन से दहेज में, एक लाख रूपये व मोटरसाइकिल की कोई मॉग नहीं की और न ही उपरोक्त दहेज की माँग को लेकर उपरोक्त मुल्जिमान द्वारा मेरी बहन को प्रताड़ित किया गया। मेरी बहन को उसके उपरोक्त ससुराल वालों ने जून 2019 में मारपीट कर घर से नहीं निकाला था और ऐसी किसी घटना के बाबत रिश्तेदारों व जान पहचान वालों के मध्य कोई समझौता नहीं हुआ था। मेरी बहन की मृत्यु उसके द्वारा दिनाँक 21.11.2019 को स्वयं फॉसी लगाकर उसकी ससुराल में, आत्महत्या करने से हुई थी। सूचना पर हम लोग गये थे, जहॉ पर गाँव वालों के कहने पर मैंने मुल्जिमान के खिलाफ तहरीर एक अंजान व्यक्ति से

लिखा दिया था। जो आज पत्रावली में, कागज सँख्या 3अ/3, मेरे सामने है, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। संलग्न पत्रावली शादी का कार्ड कागज सॅख्या 11अ, मैंने विवेचक को दिया था। इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन की अनुरोध पर जिरह की अनुमति प्रदान की गयी।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि विवेचक ने घटना के सम्बन्ध में मेरा बयान नहीं लिया था। साक्षी को 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान पढ़कर सुनाने पर उसने ऐसा बयान देने से इंकार किया। विवेचक ने कैसे लिख लिया, इसका कारण नहीं बता सकता। जिन लोगों के कहने पर मैंने रिपोर्ट लिखाया था, उनके नाम नहीं बता सकता। मेरी बहन की मृत्यु शादी के करीब 10 माह बाद उसके द्वारा फॉसी लगाकर आत्महत्या कर लेने के कारण हुई थी। मेरी बहन शादी के बाद कई बार मायके आती जाती रही, परन्तु उसने अपने ससुरालीजन उपरोक्त के द्वारा किसी प्रकार की दहेज की मॉग के बाबत हमलोगों को नहीं बताया। यह कहना गलत है कि, प्रथम सूचना रिपोर्ट मैंने सही तथ्यों पर लिखाया हो। यह कहना गलत है कि, मुल्जिमान ने मेरी बहन से एक लाख रूपये व मोटरसाइकिल की मांग किया हो और इसी करण उसे प्रताड़ित करके फॉसी पर लटकाकर मार दिया हो। यह कहना गलत है कि, मुल्जिमान से मिल जाने के कारण आज झूठी गवाही दे रहा हूँ।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि मेरी बहन शादी के पहले से पेटदर्द से बहुत परेशान रहती थी। पेट दर्द ठीक न होने के कारण वह अवसाद में रहती थी। इसी अवसाद के कारण उसने अपनी ससुराल में स्वयं फॉसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। दौरान विवेचना मैंने विवेचक को अपना एक प्रार्थनापत्र व शपथपत्र दिये थे, जो पत्रावली में शामिल कागज संख्या 133/18 लगायत 13अ/20 आज मेरे सामने हैं। यह वही प्रार्थनापत्र व शपथपत्र है जो मैंने विवेचक को दिया था, जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने हैं।

18. अभियोजन साक्षी गंगा देवी पी०डब्लू०–2, मृतका की मां, ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, मेरी पुत्री शालू देवी की शादी मुल्जिम विपिन पटेल के साथ दिनाँक 27 जनवरी 2019 को हुई थी। शालू के पति मुल्जिम विपिन पटेल, ससुर राजेन्द्र पटेल, सास गीता देवी, विमल पटेल ने कभी भी मेरी पुत्री शालू से दहेज में, एक लाख रूपये व मोटरसाइकिल की कोई मॉग नहीं की और न ही उपरोक्त दहेज की मॉग को लेकर उपरोक्त मुल्जिमान द्वारा शालू को प्रताड़ित किया गया। मेरी बहन को उसके उपरोक्त ससुराल वालों ने जून 2019 में मारपीट कर घर से नहीं निकाला था और ऐसी किसी घटना के बाबत रिश्तेदारों व जान पहचान वालों के मध्य कोई समझौता नहीं हुआ था। मेरी पुत्री की मृत्यु उसके द्वारा दिनाँक 21.11.2019 को स्वयं, पेट दर्द की बीमारी से परेशान होकर, फॉसी लगाकर उसकी ससुराल में, आत्महत्या करने से हुई थी। मैंने विवेचक को बयान दिया था, जिसमें उपरोक्त बात बताया था। इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन की अनुरोध पर जिरह की अनुमति प्रदान की गयी।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि विवेचक ने घटना के सम्बन्ध में मेरा बयान नहीं लिया था। साक्षी को 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान पढ़कर सुनाने पर उसने पैसा बयान देने से इंकार किया। विवेचक ने कैसे लिख लिया, इसका कारण नहीं बता सकती। मेरी पुत्री की मृत्यु शादी के करीब 10 माह बाद उसके द्वारा फाँसी लगाकर आत्महत्या कर लेने के कारण हुई थी। मेरी पुत्री शादी के बाद कई बार मायके आती जाती रही, परन्तु उसने अपने ससुरालीजन उपरोक्त के द्वारा किसी प्रकार की दहेज की मॉग के बाबत हमलोगों को नहीं बताया। यह कहना गलत है कि, प्रथम सूचना रिपोर्ट सही तथ्यों पर मेरे पुत्र ने लिखाया हो। यह कहना गलत है कि, मुल्जिमान ने मेरी पुत्री शालू से एक लाख रूपये व मोटरसाइकिल की मॉग किया हो और इसी करण उसे प्रताड़ित करके फॉसी पर लटकाकर मार दिया हो। यह कहना गलत है कि, मुल्जिमान से मिल जाने के कारण आज झूठी गवाही दे रही हूँ।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि मेरी पुत्री शालू शादी के पहले से पेटदर्द से बहुत परेशान रहती थी। पेट दर्द ठीक न होने के कारण वह अवसाद में रहती थी। इसी अवसाद के कारण उसने अपनी ससुराल में स्वयं फॉसी लगाकर

आत्महत्या कर लिया। मायके में भी तेज पेटदर्द की बीमारी के कारण वह कभी–कभी बेहोश हो जाती थी और मर जाने की बात कहती थी।

19. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–3 अनिल कुमार, मृतका का जीजा, ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, मेरी साली शालू देवी की शादी मुल्जिम विपिन पटेल के साथ दिनाँक 27 जनवरी 2019 को हुई थी। शालू के पति मुल्जिम विपिन पटेल, ससुर राजेन्द्र पटेल, सास गीता देवी, विमल पटेल ने कभी भी शालू से दहेज में, एक लाख रूपये व मोटरसाइकिल की कोई माँग नहीं की और न ही उपरोक्त दहेज की माँग को लेकर उपरोक्त मुल्जिमान द्वारा शालू को प्रताड़ित किया गया। मेरी साली शालू को उसके उपरोक्त ससुराल वालों ने जून 2019 में मारपीट कर घर से नहीं निकाला था और ऐसी किसी घटना के बाबत रिश्तेदारों व जान पहचान वालों के मध्य कोई समझौता नहीं हुआ था। मेरी साली की मृत्यु उसके द्वारा स्वयं दिनॉक 21.11.2019 को स्वयं, पेट दर्द की बीमारी से परेशान होकर, फॉसी लगाकर उसकी ससुराल में, आत्महत्या करने से हुई थी। मैंने विवेचक को बयान दिया था, जिसमें उपरोक्त बात बताया था। इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन की अनुरोध पर जिरह की अनुमति प्रदान की गयी।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि विवेचक ने घटना के सम्बन्ध में मेरा बयान नहीं लिया था। साक्षी को 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान पढ़कर सुनाने पर उसने पैसा बयान देने से इंकार किया। विवेचक ने कैसे लिख लिया, इसका कारण नहीं बता सकता। मेरी साली की मृत्यु शादी के करीब 10 माह बाद उसके द्वारा स्वयं फॉसी लगाकर आत्महत्या कर लेने के कारण हुई थी। मेरी साली शादी के बाद कई बार मायके आती जाती रही, परन्तु उसने अपने ससुरालीजन उपरोक्त के द्वारा किसी प्रकार की दहेज की माँग के बाबत हमलोगों को नहीं बताया। यह कहना गलत है कि, प्रथम सूचना रिपोर्ट सही तथ्यों पर अनुज पटेल ने लिखाया हो। पंचायतनामा में मैंने हस्ताक्षर बनाया था। यह सही है कि, मेरी साली शालू देवी की शादी मुल्जिम विपिन पटेल के साथ दिनाँक 27 जनवरी 2019 को हुई थी। साक्षी ने पंचायतनामा में बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। यह कहना गलत है कि, मुल्जिमान ने शालू से एक लाख रूपये व मोटरसाइकिल की मॉग किया हो और इसी करण उसे प्रताडित करके फॉसी पर लटकाकर मार दिया हो। यह कहना गलत है कि, मुल्जिमान से मिल जाने के कारण आज झूठी गवाही दे रहा हूँ।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि मृतका शालू शादी के पहले से पेटदर्द से बहुत परेशान रहती थी। पेट दर्द ठीक न होने के कारण वह अवसाद में रहती थी। इसी अवसाद के कारण उसने अपनी ससुराल में स्वयं फॉसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। मायके में भी तेज पेटदर्द की बीमारी के कारण वह कभी–कभी बेहोश हो जाती थी और मर जाने की बात कहती थी।

20. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–4 डॉ० अमलेश जोशी ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, दिनांक 22.11.2021 को मैं पी०एच०सी० गोपालगंज में चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन मेरी ड्यूटी शव विच्छेदन गृह फतेहपुर में लगी थी। मृतका शालू देवी के शव को थाना गाजीपुर का सिपाही अमृतलाल व महिला कां० शुभांशी लेकर संबंधित प्रपत्रों के साथ आये थे। मृतका शालू देवी के शव का शव विच्छेदन दिनांक 12.11.2019 को समय 3:15 बजे प्रारम्भ किया गया और 3:45 बजे समाप्त हुआ था। मृतका की ऊंचाई 150 से०मी० वजन 60 कि०ग्राम उसका शरीर महममू औसत कद काठी का था। मृतका के शरीर पर एक साड़ी, एक ब्लाउज, एक ब्रा, कांच की चूड़ी, लाल धागा, एक पेटी कोट, एक बिन्दी, एक बेयर बैंड, दो हेयर क्लिप्प शरीर पर पायी गयी। मृतका के शरीर पर ऊपर भुजाओं और दोनों पैरों पर अकड़न मौजूद थी। आंखे बंद थी। नाक से आग आ रहा था। जीब बाहर निकली थी। दांत 16X15 बाह्य चोटे एक फंदे का निशान गर्दन पर थाइराइड के ऊपर जिसका आकार 31 से०मी० X2 से०मी० का था, जिसमें की गर्दन के पीछे की तरफ फंदे में 9 से०मी० में निशान नहीं था। फंदा दाये कान से 5 से०मी० नीचे थोडी से 6 से०मी० नीचे तथा बांये कान से 2 से०मी० नीचे था। इस फंदे को चीरने पर अन्दर सफेद चमड़े जैसी सूखी रक्तवाहिनी की दृश्यता प्रतीत हुयी। शरीर पर और भी चोटों के निशान नहीं थे। अतिरिक्त परीक्षण करने पर मस्तिष्क तथा मस्तिष्क के आंतरिक परीक्षम में हायड बोन शाबित पायी

गयी। छाती में फेफड़े तथा उसकी झिल्लियां कन्जेसटेड थी। हृदय के आतंरिक परीक्षण में दायी तरफ भरा हुआ था। अमाशय में करीब 500 मी०ली० तरल पदार्थ भरा था। छोटी आंत में गैसे एवं पेस्टी मेटेरियल भरा था। बड़ी आंत में आधी मात्रा में लैट्रीन भरी थी। यकृत पीताशय स्पीलिन तथा किडनी दोनो कन्जेस्टेड थी। मेरी राय में मृतका की मृत्यु एक दिन पूर्व होना सम्भव है। मृत्यु का कारण– मृतका की मृत्यु, मृत्यु के पूर्व फांसी के फंदा लगाने से दम घुटने के कारण होना सम्भव है। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 10 अ/1 लगायत 10 अ/4 शव विच्छेदन आख्या मृतका शालू देवी को आख्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर गवाह ने कहा यह शव विच्छेदन आख्या मैंने अपने लेख व हस्ताक्षर से तैयार की थी, जिस पर गवाह ने पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। शव विच्छेदन के बाद मृतका के शव को उसके साथ आये सिपाही को सुपुर्द किया गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि लिगेचर मार्ग का आकार V सेफ का था। गर्दन के पीछे 9 से०मी० की जगह थी। फंदा (लिगेचर मार्ग का जो साइज था। वह तिरछा था) शीरर के किसी अन्य भाग पर कोई चोट नहीं थी। यह लिगेचर मार्ग स्वयं के द्वारा फंदा लगाने से ही सम्भव है। यह कहना गलत है कि मैंने विधि मानकों के अनुरूप शव विच्छेदन आख्या न तैयार किया हो।

21. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–5 सियाराम ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, हाजिर अदालत अभियुक्त विपिन पटेल व राजेन्द्र पटेल को मैं जानता पहचानता हूं। यह मेरे गांव का है। मेरे गांव के विपिन पटेल की पत्नी शालू दिनांक 21.11.2019 को बीमारी के कारण परेशान होकर आत्महत्या कर ली। विपिन पटेल व उसके पिता राजेन्द्र पटेल व उसके आदमी व पारिवारिकजन शालू से कभी भी दहेज में मोटरसाइकिल व एक लाख रुपये की मांग नहीं की। शालू व अन्य ससुरालीजन उसको बहुत प्यार से रखते थे। कभी भी अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं की। शालू देवी की मृत्यु के दौरान विमल पटेल व गीता देवी घर पर नहीं थे।

इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन की अनुरोध पर जिरह की अनुमति प्रदान की गयी।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया। सी०ओ० साहब को मैंने प्रार्थना पत्र दिया था और शपथ पत्र भी दिया था। यह कहना गलत है कि मैं अभियुक्त के व्यवहारी व बिरादरी होने के कारण अभियुक्तगण को बचाने के लिए झूठी गवाही दे रहा हूं।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि मृतका शालू शादी के पहले से पेट दर्द से बहुत परेशान रहती थी। पेट दर्द ठीक न होने के कारण बहुत परेशान रहती थी। ससुराल में वह अक्सर परेशान रहती थी और बेहोश हो जाती थी।

22. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–6 सोहनलाल ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, हाजिर अदालत मुल्जिम विपिन पटेल की शादी सन 2019 में हुयी थी। विपिन पटेल व राजेन्द्र पटेल, गीता देवी, विमल पटेल ने कभी भी शालू से एक लाख रुपये व मोटरसाइकिल व अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं किया। न ही उसे प्रताड़ित किया। विपिन पटेल की पत्नी शालू पेट दर्द से बहुत परेशान रहती थी। पेट दर्द ठीक न होने के कारण उसने स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या किया है।

इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन की अनुरोध पर जिरह की अनुमति प्रदान की गयी।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि सी०ओ० साहब ने मेरा कोई बयान नहीं लिया। उसको 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया, जिसमें उसने कहां कि मैंने सी०ओ० साहब को शपथ पत्र दिया था। यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिमान का मेली व्यवहारी होने के कारण उसे बचाने के लिए झूठा बयान दे रहा हूं।

23. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–7 म०कां० प्रियंका ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, मैने उक्त मुकदमें के वादी अनुज पटेल पुत्र स्व० चन्द्रशेखर निवासी जगन्नाथपुर थाना–मलवां जिला फतेहपुर से सम्बन्धित मु अ सं 284/2019 धारा 498A, 304B आई पी सी के तहत मैने दिनांक–

22.11.2019 को वादी अनुज पटेल द्वारा थाने में दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर व थानाध्यक्ष महोदय के मौखिक आदेश पर मैने उक्त मुकदमा शब्द–ब–शब्द टाइप किया था तथा तत्कालीन थाना प्रभारी दीनदयाल सिंह के हस्ताक्षर बनवाये थे। मैं उनके साथ तैनात रही हूँ तथा उनके हस्ताक्षर से भली–भांति परिचित हूँ। पत्रावली में शामिल चिक कागज संख्या– 3 अ/1 लगायत 3 अ/2 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही चिक एफ आई आर है जिसे मैंने स्वयं टाइप किया था। जिस पर बने तत्कालीन थाना प्रभारी दीनलयाल सिंह व अपने हस्ताक्षर की मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। मुकदमें का खुलासा थाने की कायमी जी डी संख्या– 29 समय 18.29 दिनांक– 22.11.2019 को मैने स्वयं टाइप किया था। जिसे मेरे साथ तैनात रहे हेड का० महेन्द्र प्रसाद ने बोला था। जिस पर मेरे व हेड का० महेन्द्र प्रसाद के हस्ताक्षर बने है। पत्रावली में शामिल कायमी जी डी कागज संख्या–7 अ/1 को देखकर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि की। जिस पर प्रदर्श– क 4 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि वादी द्वारा थाने में लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्रार्थना पत्र किससे लिखवाया था, मुझे नहीं पता। तहरीर मुझे हेड मो० महेन्द्र प्रसाद ने दिया था। वादी उस समय थाने में ही मौजूद था। इसी आधार पर मैंने चिक किता किया था। मुकदमें की कायमी जी डी पहले किता की गयी थी, उसके बाद चिक किता किया था। चिक व जी डी कम्प्यूटर पर मैंने ही टाइप किया था। मुकदमें की चिक टाइप करने में आधा घण्टा का समय लगा था, मुकदमें की जी डी टाइप करने में पन्द्रह मिनट का समय लगा था। चिक व कायमी जी डी दोनों को किता करने के समय में 18.29 बजे अंकित है। जबकि दोनों अलग–अलग किता की गयी थी। दोनों में एक ही समय पडा होने का कारण मैं नहीं बता सकती। चिक एफ आई आर में शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठा निशान के नीचे वादी का हस्ताक्षर या अंगूठा नहीं बना है। हस्ताक्षर न बना होने का होने का कोई कारण नहीं बता सकती हूँ। यह कहना गलत है कि वादी मुकदमा थाने में मौजूद न रहा हो, इसी कारण उसके चिक में हस्ताक्षर न कराये गये हो। यह कहना गलत है कि चिक व जी०डी० एन्टी टाइम दर्ज की गयी हो।

24. प्रस्तुत आपराधिक वाद में न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण विपिन पटेल एवं राजेन्द्र के विरूद्ध धारा 498 ए, 304 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये है। उक्त अपराधो को निम्नवत् प्राविधानित किया गया है–

25. **धारा 304 बी भा०दं०सं०: दहेज मृत्यु (1.)** जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह (जलने) या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिये या उसके संबंध मे, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया थ, वह किसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जायेगा और ऐसा पति नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जायेगा।

(2.)– जो कोई मृत्यु कारित करेगा वह कारावास की अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा।

धारा– 498 ए भा०दं०सं०:– किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना– जो कोई किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार होते हुये, ऐसी स्त्री के प्रति कूरता करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की जो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरणः– इस धारा के प्रयोजनो के लिये "क्रूरता" से निम्नलिखत अभिप्रेत हैः–

(क.) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है, जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है, या

(ख.) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग पूरी करने के लिये प्रताड़ित किया जाये या किसी स्त्री को इस

कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।

धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम दहेज की मांग के लिए यदि किसी पक्षकार के माता–पिता, अभिभावक या रिश्तेदार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं तो उन्हें कम से कम छः मास और अधिकतम दो वर्षों के कारावास की सजा और दस हजार रूपये तक जुर्माना हो सकता है।

26. प्रस्तुत मामले में न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण विपिन एवं राजेन्द्र पर आरोपित अपराध को उनके विरूद्ध युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे के स्तर तक साबित करने के अपने दायित्व के निर्वाहन में सफल रहा है अथवा नहीं?

25. इस संदर्भ में हम देखते हैं कि अभियुक्तगण विपिन एवं राजेन्द्र पर मुख्य आरोप धारा 304 बी भा०दं०सं० के तहत लगाये गये हैं और भा०दं०सं० की धारा 304 बी के संदर्भ में निष्कर्ष व्यक्त करने के पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ख का भी परिशीलन किया जाना आवश्यक है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ख निम्नवत् है.–धारा 113 ख–दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा– जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।

27. अभियुक्तगण विपिन एवं राजेन्द्र को धारा 304 बी भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत आपराधिक दायित्व का निर्धारण करते समय उपरोक्त धारा में वर्णित निम्नलिखित 5 अव्यव/तत्वों (Ingredients) को अभियोजन द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए :–

I. मृतका की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो,

II. मृतका की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की गयी हो अथवा सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुई हो,

III. ऐसी क्रूरता मृतका के पति या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा की गयी हो,

IV. ऐसी क्रूरता अथवा उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए की गयी हो,

V. उसके साथ मृत्यु के कुछ समय पूर्व (Soon before death) ऐसा क्रूरता अथवा उत्पीड़न का व्यवहार किया गया हो,

28. प्रस्तुत मामले में अब यह देखा जाना है कि क्या अभियोजनपक्ष दहेज हत्या के उपरोक्त आवश्यक अवयवों को साबित कर पाने में सफल रहा है आैर क्या धारा 113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन उपधारणा के लिये आवश्यक तत्व मौजूद है। उपरोक्त तत्वों की बिन्दु वार विवेचना निम्नवत की जा रही हैः–

I– सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि क्या मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अन्दर हुयी।

प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के सूक्ष्म परिशीलन से यह स्पष्ट है कि तहरीर प्रदर्श क–1 में वादी अनुज पटेल द्वारा अपनी बहन मृतका शालू देवी की शादी अभियुक्त विपिन पटेल के साथ लगभग 10 माह पूर्व होने का कथन किया गया है। इस संबंध में वादी अनुज पटेल पी०डब्लू० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसकी बहन की शादी अभियुक्त विपिन पटेल के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 27.01.2019 को सम्पन्न हुई थी। उक्त आपरधिक घटना दिनांक 21.11.2019 को किसी समय घटित होना बताया गया है। अतः यह तथ्य पूर्णतः स्थापित है कि उक्त मृतका शालू देवी की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई है।

II. अब इस तथ्य पर विचार किया जाना है कि क्या मृतका की मृत्यु उसके शरीर पर आयी हुयी चोटो अथवा जलने से अथवा सामान्य से भिन्न परिस्थिति मे हुयी है?

प्रस्तुत मामले में तहरीर प्रदर्श क–1 के परिशीलन से स्पष्ट है कि वादी अनुज पटेल के द्वारा उपरोक्त तहरीर में कथन किया गया है कि उसकी बहन शालू देवी के पति विपिन पटेल एवं ससुर राजेन्द्र पटेल अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन को प्रताड़ित करते हैं और क्रूरता का व्यवहार करते थे और इन्होंने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उन्होंने शालू देवी को फांसी के फंदे में लटकवाकर उसकी मृत्यु कारित कर दी। यद्यपि इस संबंध में वादी मुकदमा अनुज पटेल ने पी०डब्लू० 1 ने अपनी

मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरी बहन शालू देवी की शादी मुल्जिम विपिन पटेल के साथ दिनॉक 27 जनवरी 2019 को हुई थी। मेरी बहन की मृत्यु उसके द्वारा दिनाँक 21.11.2019 को स्वयं फॉसी लगाकर उसकी ससुराल में, आत्महत्या करने से हुई थी।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्षियों के बयान एवं दस्तावेजीसाक्ष्य के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष पूर्णतया स्पष्ट है कि मृतका शालू देवी की मृत्यु स्वयं फांसी के फंदा लगाने से हुयी है। अर्थात मृतका की मृत्यु सामान्य से भिन्न परिस्थितियों में हुयी है। यद्यपि पत्रावली पर ऐसा कोई सुसंगत साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि उपरोक्त फांसी का फंदा अभियुक्तगण विपिन एवं राजेन्द्र पटेल के द्वारा मृतका शालू देवी को लगाया गया। उपरोक्त समस्त विवेचना से न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट है कि मृतका शालू देवी की मृत्यु सामान्य से भिन्न परिस्थितियों में हुयी है।

III & IV. अब इस तथ्य पर विचार किया जाना है कि ऐसी क्रूरता अथवा उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए की गयी है और ऐसी क्रूरता मृतका के पति विपिन पटेल या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा की गयी है।

इस सम्बन्ध मे वादी मुकदमा अनुज पटेल पी०डब्लू०–1 एवं तथ्य के अन्य साक्षियों मृतका की मां गंगा देवी पी०डब्लू०–2, मृतका का जीजा अनिल कुमार पी०डब्लू०–3 एवं अन्य साक्षियों सियाराम पी०डब्लू०–5, सोहनलाल पी०डब्लू०–6 ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयान किया है कि **"मृतका के पति मुल्जिम विपिन पटेल, ससुर राजेन्द्र पटेल, सास गीता देवी, विमल पटेल ने कभी भी मेरी बहन से दहेज में, एक लाख रूपये व मोटरसाइकिल की कोई मॉग नहीं की और न ही उपरोक्त दहेज की माँग को लेकर उपरोक्त मुल्जिमान द्वारा मृतका शालू देवी को प्रताड़ित किया गया। मृतका को उसके उपरोक्त ससुराल वालों ने जून 2019 में मारपीट कर घर से नहीं निकाला था और ऐसी किसी घटना के बाबत रिश्तेदारों व जान पहचान वालों के मध्य कोई समझौता नहीं हुआ था। मृतका की मृत्यु उसके द्वारा दिनाँक 21.11.2019 को स्वयं फॉसी लगाकर उसकी ससुराल में, आत्महत्या करने से हुई थी"।**

29. इस प्रकार अभियोजन पक्ष एवं सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष पूर्णतया स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष इस तथ्य को साबित करने मे असफल रहा है कि मृतका शालू के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता अथवा उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए की गयी है और ऐसी क्रूरता मृतका के पति विपिन पटेल या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा की गयी है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने न्यायालय के समक्ष बयान किया है कि मृतका शालू देवी की शादी के बाद से लेकर एवं मृत्यु के पूर्व के समय तक अभियुक्तगण विपिन एवं राजेन्द्र पटेल द्वारा ऐसी कोई क्रूरता अथवा उत्पीड़न अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल व एक लाख रूपये के लिए नहीं की गयी है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष इस सम्बन्ध में अभियोजन कथानक को सुसंगत साक्ष्य द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने मे असफल रहा है।

V. अब इस प्रमुख विचारणीय प्रश्न तथ्य पर विचार किया जाना है कि क्या मृतका शालू देवी के साथ मृत्यु के कुछ समय पूर्व (Soon Before Death) ऐसा क्रूरता अथवा उत्पीड़न का व्यवहार किया गया है?

इस सम्बन्ध मे वादी मुकदमा अनुज पटेल पी०डब्लू०–1 एवं तथ्य के अन्य साक्षियों मृतका की मां गंगा देवी पी०डब्लू०–२, मृतका का जीजा अनिल कुमार पी०डब्लू०–३ एवं अन्य साक्षियों सियाराम पी०डब्लू०–५, सोहनलाल पी०डब्लू०–६ ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयान किया है कि **"मृतका के पति मुल्जिम विपिन पटेल, ससुर राजेन्द्र पटेल, सास गीता देवी, विमल पटेल ने कभी भी मेरी बहन से दहेज में, एक लाख रूपये व मोटरसाइकिल की कोई मॉग नहीं की और न ही उपरोक्त दहेज की माँग को लेकर उपरोक्त मुल्जिमान द्वारा मृतका शालू देवी को प्रताड़ित किया गया। मृतका को उसके उपरोक्त ससुराल वालों ने जून 2019 में मारपीट कर घर से नहीं निकाला था और ऐसी किसी घटना के बाबत रिश्तेदारों व जान पहचान वालों के मध्य कोई समझौता नहीं हुआ था। मृतका की मृत्यु उसके द्वारा दिनाँक 21.11.2019 को स्वयं फॉसी लगाकर उसकी ससुराल में, आत्महत्या करने से हुई थी"।**

धारा –113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत उपधारणा हेतु दहेज की मांग को लेकर परेशान करना अथवा निर्दयता पूर्ण व्यवहार करने का यह कृत्य मृतका के मृत्यु के पहले होना चाहिये, परन्तु मृत्यु के ठीक पूर्व का अर्थ तत्काल पूर्व नही है, विधि व्यवस्था **तुम्मला वेंकटेश्वर राव बनाम**

आंधप्रदेश राज्य 2014(2) टी०सी०एस०सी०–711(एस०सी०) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि धारा –304 बी भारतीय दण्ड संहिता में आने वाले शब्द " मृत्यु के ठीक पूर्व " का अर्थ मृत्यु के तत्काल पूर्व अभिप्रेत नही है। विधि व्यवस्था **हीरालाल बनाम राज्य (एन०सी०टी० सरकार) दिल्ली (2003)(8)एस०सी०सी०–80** के मामले मे यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि ठीक पूर्व की अवधारणा प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करती है, न्यायालय ने यह पाया कि यह निर्दिष्ट करना पयार्प्त है कि (ठीक पूर्व) के समान्यतः यहीं विवक्षित होगा कि सम्बद्ध क्रूरता या उत्पीडन आैर प्रश्नगत मृत्यु के बीच अन्तराल अधिक नही होना चाहिये। माननीय न्यायालय ने इस विधि में यह निर्धारित किया है कि उपरोक्त क्रूरता का व्यवहार दहेज की मांग के सम्बन्ध मे किया गया हो। यह भी अवधारित किया है कि दहेज की मांग पर आधारित क्रूरता के प्रभाव समान्य मृत्यु के बीच निकट आैर सजीव संकट विद्यमान होना चाहिये। यदि क्रूरता अभिकथित घटना दूरवर्ती समय की है आैर वह सम्बद्ध महिला की मानसिक सन्तुलन व्यवधानित न करने के लिये काफी पुरानी हो गयी है तो वह किसी परिणाम की नही होगी।

इस तरह उपरोक्त विधि व्यवस्थाआें के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि मृत्यु के ठीक पूर्व मृतका के साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया या नही यह प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगा आैर धारा –304 बी भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित शब्द मृत्यु के ठीक पूर्व का तात्पर्य मृत्यु के तत्काल पूर्व नही है।

प्रस्तुत आपराधिक वाद के तथ्यों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्थाओं के आलोक में एवं अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्षियों के बयान एवं अन्य अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष पूर्णतया स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष इस तथ्य को साबित करने मे असफल रहा है कि मृतका शालू के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता अथवा उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए मृत्यु से ठीक पूर्व (Soon Before Death) की गयी है। इस सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने न्यायालय के समक्ष बयान किया है कि मृतका शालू देवी की शादी के बाद से लेकर एवं मृत्यु के पूर्व के समय तक अभियुक्तगण विपिन एवं राजेन्द्र पटेल द्वारा ऐसी कोई क्रूरता अथवा उत्पीड़न अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल व एक लाख रूपये के लिए नहीं की गयी है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष इस सम्बन्ध में अभियोजन कथानक "मृतका शालू देवी के साथ मृत्यु के कुछ समय पूर्व (Soon Before Death) ऐसा क्रूरता अथवा उत्पीड़न का व्यवहार किया गया है" को सुसंगत साक्ष्य द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने मे असफल रहा है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना से न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष प्रस्तुत सत्र परीक्षण में अभियुक्तगण के आपराधिक दायित्व को निर्धारित करने के संबंध में दहेज मृत्यु के उपरोक्त आवश्यक तथ्यों/अवयवों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है।

30. प्रस्तुत आपराधिक वाद में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्षियों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले के साक्षियों वादी मुकदमा अनुज पटेल पी०डब्लू० 1, गंगा देवी पी०डब्लू० 2, अनिल कुमार पी०डब्लू० 3, सियाराम पी०डब्लू० 5, सोहनलाल पी०डब्लू० 6 ने न्यायालय के समक्ष अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। ये साक्षी पक्षद्रोही साक्षी हैं, उन्होंने अभियोजन कथानक का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षी ने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक से इंकार करते हुये पक्षद्रोही साक्ष्य दिया है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, दण्डिक के अनुरोध पर उक्त साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया और उन्हें उक्त साक्षी पर प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति भी प्रदान की गयी, लेकिन उक्त प्रतिपरीक्षा में भी ऐसा कोई तथ्य निकलकर सामने नहीं आया है जो अभियुक्तगण की प्रस्तुत आपराधिक घटना में संलिप्तता को संदेह से परे साबित कर रहा हो तथा जिससे अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत आपराधिक घटना कारित किया जाना साबित होता हो। इस प्रकार तथ्य के उपरोक्त साक्षीगण के न्यायालय के समक्ष बयानों से अभियोजन कथानक साबित नहीं है।

31. प्रस्तुत मामले के बचाव पक्ष द्वारा नक्शा नजरी प्रदर्श क–13, आरोप पत्र प्रदर्श क–12 एवं पंचायतनामा आदि की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया है। लेकिन केवल उक्त अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किये जाने मात्र से अभियोजन कथानक को साबित नही माना जा सकता, क्योंकि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा केवल औपचारिक प्रमाणिकता को ही स्वीकार किया गया है लेकिन उक्त अभियोजन प्रपत्रों के अन्तर्कथनों से इन्कार किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक प्रमाणिकता स्वीकार करने मात्र से अभियोजन प्रपत्रों को किसी भी प्रकार से साबित नही माना जा सकता है।

32. प्रस्तुत आपराधिक मामले में अनुज पटेल पी०डब्लू–1 मामले का वादी मुकदमा है। इस साक्षी द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीर के आधार पर मामले की एफ.आई.आर. दर्ज किये जाने के उपरांत प्रस्तुत मुकदमा आरम्भ किया गया है। वादी मुकदमा की बहन/मृतका शालू देवी साथ हुई उक्त आपराधिक घटना के संबंध में स्वयं न्यायालय के समक्ष अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराना स्वीकार किया है। इस साक्षी अनुज पटेल ने विवेचक के समक्ष धारा 161 सी.आर.पी.सी. के बयानों में अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन किया है। इसके बावजूद भी न्यायालय में इस सम्बन्ध में अपनी बयानो में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं करके यह इंगित कर रहा है कि यह साक्षी न्यायालय में साशय मिथ्या साक्ष्य दे रही है। अभियोजन के निवेदन पर इस साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी भी घोषित किया गया है। इस प्रकार साक्षी अनुज पटेल पी०डब्लू0–1 ने न्यायालय के समक्ष जानबूझकर झूठा एवं असत्य बयान दिया है। इस प्रकार न्यायालय में साशय मिथ्या साक्ष्य देने के संदर्भ में साक्षी अनुज पटेल पी.डब्लू–1 के विरूद्ध दं०प्र०सं० की धारा 344 के तहत विधिक कार्यवाही अमल में लाया जाना आवश्यक है।

33. प्रस्तुत मामले में साक्षी पी०डब्लू०–1 अनुज पटेल एवं तथ्य के अन्य साक्षियों पी०डब्लू0–1, पी०डब्लू0–2, पी०डब्लू0–3, पी०डब्लू0–5 एवं पी०डब्लू0–6 ने अपने विवेचक के समक्ष दर्ज किये गये बयान अतंर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० में अभियुक्तगण द्वारा तथाकथित घटना कारित किये जाने का कथन किया है। किन्तु उल्लेखनीय है कि धारा 161 का बयान स्वंय में अकाट्य साक्ष्य नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित विधि व्यवस्था–उत्तपलदास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य ए०आई०आर० 2010 सु०को० 1894 के मामले में यह अवधारित किया गया है कि धारा 164 दं०प्र०सं० का बयान तात्विक साक्ष्य नहीं है और इसका प्रयोग धारा 145 व 157 भा० साक्ष्य अधिनियम के तहत खण्डन या सम्पोषण के लिए किया जा सकता है और यही स्थिति धारा 161 दं०प्र०स० के बयान की भी है। ऐसी दशा में माननीय न्यायालय के उपरोक्त सम्मानित विधि व्यवस्था से यह स्पष्ट है कि धारा 161 व 164 दं०प्र०सं० का प्रयोजन महज तथ्य के खंडन या सम्पोषण के लिए किया जा सकता है। यद्यपि धारा 161 दं०प्र०सं० के बयानों में वादी मुकदमा एवं अन्य गवाहान द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध बयान देते हुए तथाकथित घटना कारित किये जाने का कथन किया गया है, किन्तु न्यायालय के समक्ष बयान में सभी साक्षियों ने धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान से इंकार किया है जिसके दृष्टिगत उपरोक्त साक्षी के बयान से अभियोजन कथानक समर्थित नहीं माना जा सकता।

34. इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा अनुज पटेल पी०डब्लू० 1, गंगा देवी पी०डब्लू० 2, अनिल कुमार पी०डब्लू० 3, सियाराम पी०डब्लू० 5, सोहनलाल पी०डब्लू० 6 ने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। उपरोक्त सभी साक्षी पक्षद्रोही साक्षी है। उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अतः अभियोजन कथानक मामले के तथ्य के साक्षियों के

बयान द्वारा समर्थित नहीं है। शेष साक्षी डॉ० अमलेश जोशी पी०डब्लू० 4, चिक एफ०आई०आर० एवं कायमी जी०डी० लेखक म०कां० प्रियंका पी०डब्लू० 7 औपचारिक साक्षी मात्र हैं, जिनकी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप साबित नहीं हो सकते हैं। उनकी साक्ष्य का प्रयोग केवल तथ्य के साक्षियों के बयानों की सम्पुष्टि कारक साक्ष्य के रूप में ही किया जा सकता है। केवल उक्त औपचारिक साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दण्डित नहीं किया जा सकता है।

35. अतः प्रस्तुत आपराधिक मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण विपिन पटेल एवं राजेन्द्र पटेल के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहा है।

36. अतः प्रस्तुत आपराधिक मामला सत्र परीक्षण सं०– 248/2020, सम्बंधित मु०अ०सं० 284/2019, अन्तर्गत धारा 498A, 304 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 डी०पी० एक्ट, थाना गाजीपुर जिला फतेहपुर में अभियुक्तगण विपिन पटेल एवं राजेन्द्र पटेल संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

सत्र परीक्षण सं०– 248/2020, मुकदमा अपराध संख्या 284/2019, अन्तर्गत धारा 498A, 304 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 डी०पी० एक्ट, थाना गाजीपुर जिला फतेहपुर में अभियुक्तगण विपिन पटेल एवं राजेन्द्र पटेल को संदेह का लाभ प्रदान करते हुये दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण विपिन पटेल एवं राजेन्द्र पटेल प्रस्तुत मामले में जमानत पर हैं। उसके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभुओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण विपिन पटेल एवं राजेन्द्र पटेल द्वारा धारा–437 ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में मु० 20,000 रूपये (बीस हजार रूपये) के व्यक्तिगत बन्ध पत्र व इतनी धनराशि के दो प्रतिभू, प्रत्येक अभियुक्त द्वारा दाखिल किये जायें। उक्त बंधपत्र आदि नियमानुसार लागू रहेंगे।

मामले की वादी मुकदमा, अनुज पटेल पी०डब्लू०–1 के द्वारा न्यायालय में साशय मिथ्या साक्ष्य दिये जाने के संदर्भ में उसके विरूद्ध दं०प्र०सं० की धारा 344 के तहत दाण्डिक प्रकीर्ण वाद दर्ज किया जाये। इस निर्णय व आदेश की एक प्रति उपरोक्त दाण्डिक प्रकीर्ण वाद की पत्रावली में रखी जाये।

माल मुकदमा बाद मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

दिनांक–17.01.2025

(हरि प्रकाश गुप्ता)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–3, फतेहपुर।

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–17.01.2025

(हरि प्रकाश गुप्ता)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–3, फतेहपुर।